The Hindu plus Summary : 28.03.2024

मेन्स मास्टर

समय पर पुनः कथन

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप निचली अदालत के आदेशों के कारण हुआ, जिसमें ब्लूमबर्ग को मानहानिकारक माने जाने वाले एक लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था। इन आदेशों ने प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार के क्षरण के बारे में गंभीर चिंताएँ जताईं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:

• मीडिया के खिलाफ़ ट्रायल-पूर्व निषेधाज्ञा सार्वजनिक बहस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

• पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।

• न्यायालयों को मानक कानूनी परीक्षणों को यंत्रवत् लागू करने के बजाय सभी तथ्यों का कठोरता से विश्लेषण करना चाहिए और प्रेस पर किसी भी प्रतिबंध के लिए विस्तृत तर्क प्रदान करना चाहिए।

• **त्रि-स्तरीय परीक्षण**

निषेधों के लिए मानक परीक्षण इन कारकों पर विचार करता है:

1 प्रथम दृष्टया मामला: क्या वादी के दावे के लिए कोई स्पष्ट आधार है?

2 सुविधा का संतुलन: क्या प्रकाशन को रोकना वादी को सूचना के सार्वजनिक अधिकार से अधिक लाभ पहुँचाता है?

3 अपूरणीय क्षति या नुकसान: यदि सामग्री प्रकाशित हो जाती है तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति होगी?

कानून के दुरुपयोग से बचाव

न्यायालय का निर्णय दो खतरों से बचाव में मदद करता है:

1 निराधार मानहानि के मुकदमे: सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि मानहानि के मामलों में निषेधाज्ञा की संभावना बहुत कम है, जब तक कि प्रकाशित सामग्री स्पष्ट रूप से मानहानिकारक न हो और उसके लिए कोई संभावित बचाव (जैसे सत्य या सार्वजनिक हित) न हो।

2 स्लैप मुकदमे: न्यायालय ने पत्रकारों को डराने और आलोचना को दबाने के लिए शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा मुकदमों का हथियार के रूप में उपयोग करने के जोखिम को उजागर किया।

आगे का रास्ता

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय मुक्त भाषण की जीत है, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है। पत्रकारिता गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाले निचली अदालतों के आदेशों की एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। प्रेस, कानूनी अधिवक्ताओं और जनता को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि स्वतंत्र प्रेस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दृढ़ बनी रहे।

विश्व व्यापार संगठन की निवेश सुविधा वार्ता अवैध नहीं है

संदर्भ

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विकास के लिए निवेश सुविधा (IFD) समझौते को अपनाने में विफलता देखी गई, जिसका मुख्य कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका का विरोध था।

पृष्ठभूमि

• 2017 में, 70 WTO सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण (सदस्यों का एक उपसमूह) के माध्यम से IFD समझौते पर बातचीत शुरू की।

• नवंबर 2023 में समझौते को अंतिम रूप दिया गया और 120 से अधिक WTO सदस्यों ने इसका समर्थन किया।

• बहुपक्षीय समझौतों (PA) को WTO के भीतर अनुमति दी जाती है, लेकिन वे केवल उन देशों को बाध्य करते हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं।

IFD समझौता क्या है?

• इसका उद्देश्य पारदर्शिता और प्रशासनिक सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाना है।

• **मुख्य बिंदु:**

  ◦ इसमें शामिल नहीं है: बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण, या निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)।

भारत आईएफडी का विरोध क्यों करता है

1 **दायरा:** भारत का तर्क है कि निवेश व्यापार से अलग है और इसे डब्ल्यूटीओ के अधिदेश के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

2 **प्रक्रिया:** भारत का दावा है कि आईएफडी वार्ता दोहा दौर के हिस्से के रूप में निवेश पर चर्चा करने के खिलाफ 2004 के फैसले और किसी भी नए बहुपक्षीय समझौते के लिए आम सहमति की आवश्यकता वाले 2015 के फैसले का उल्लंघन करती है।

भारत का वैकल्पिक दृष्टिकोण

• भारत डब्ल्यूटीओ समझौते पर निर्भर रहने के बजाय निवेश के आकर्षण को बढ़ाने के लिए घरेलू सुधार पर जोर देता है।

आगे की राह

• लेख में सुझाव दिया गया है कि आईएफडी जैसे बहुपक्षीय समझौतों के प्रति भारत का अधिक खुला रुख डब्ल्यूटीओ को एक ऐसी दुनिया में अपडेट करने में मदद कर सकता है जहां आम सहमति बनाना मुश्किल बना हुआ है।

मानवीय सहायता की राजनीति

संदर्भ

• अमेरिकी विदेश मंत्री ने गाजा में गंभीर खाद्य संकट पर प्रकाश डाला है।

• अमेरिकी कांग्रेस ने एक साथ UNRWA को दी जाने वाली धनराशि में कटौती की है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है।

पृष्ठभूमि

• यह अधिनियम लंबे समय से चले आ रहे इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष से जुड़ा है।

• इजरायल फिलिस्तीनी शरणार्थियों के दावों और उनके लौटने के संभावित अधिकार को कमजोर करना चाहता है, जो एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मानवीय सहायता क्या है?

• युद्ध, आपदा आदि के कारण संकट की स्थिति में लोगों को भोजन, दवा और आश्रय जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान की जाती है।

• तटस्थता और मानवता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, जीवन बचाने और पीड़ा को कम करने पर केंद्रित।

सहायता का उपयोग सौदेबाजी की चिप के रूप में कैसे किया जाता है

• शक्तिशाली राष्ट्र संघर्ष में पक्षों पर अपने पक्ष में कार्य करने के लिए दबाव डालने के लिए सहायता को रोक सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं।

• कैदियों की अदला-बदली जैसी राजनीतिक रियायतों के बदले में सहायता की पेशकश की जा सकती है।

• संघर्ष क्षेत्र के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों या समूहों को राजनीतिक संबद्धता के आधार पर सहायता से वंचित किया जा सकता है।

देशों द्वारा अपनाई गई दबाव की रणनीति

• गाजा मामला: अमेरिका और इजरायल इस क्षेत्र में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीनियों को सहायता में बाधा डाल रहे हैं।

• सीरिया, इथियोपिया, यमन: अन्य उदाहरण जहां संघर्ष में शामिल पक्षों द्वारा सहायता को अवरुद्ध या नियंत्रित किया जाता है, जिसका उपयोग अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है।

क्या यह नैतिक है?

• जीवन रक्षक सहायता से इनकार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है।

• राजनीतिक खेलों में लोगों की पीड़ा का लाभ उठाने से गंभीर नैतिक चिंताएँ पैदा होती हैं।

आदर्श परिदृश्य

• मानवीय सहायता केवल आवश्यकता के आधार पर, बिना किसी राजनीतिक शर्त के प्रदान की जानी चाहिए।

• संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिए कि संघर्ष से प्रभावित सभी लोगों तक सहायता पहुँचे, चाहे राजनीति कुछ भी हो।

आगे की राह

• अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहायता को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने की कड़ी निंदा करनी चाहिए।

• मानवीय सहायता में बाधा डालने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र की आवश्यकता है।

• आबादी को भूखा रखकर अधीनता में लाने के बजाय कूटनीति के माध्यम से संघर्षों को हल करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

चीन-ताइवान संघर्ष को रोकना

संदर्भ

• चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते हितों को चुनौती मिल रही है।
• संभावित संघर्ष से भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति बाधित होने का खतरा है, जिससे उसका राष्ट्रीय विकास प्रभावित हो सकता है।

पृष्ठभूमि: ताइवान मुद्दा

• **चीन का दावा:** बीजिंग ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है और "एक चीन" सिद्धांत के तहत "पुनर्मिलन" चाहता है।
• **ताइवान का रुख:** ताइवान एक स्वशासित लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य भूमि चीन से शासित होने का सार्वजनिक विरोध बढ़ रहा है।
• **अमेरिकी भागीदारी:** अमेरिका ताइवान संबंध अधिनियम के तहत ताइवान की रक्षा में सहायता करता है, जबकि चीनी आक्रमण के मामले में प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में "रणनीतिक अस्पष्टता" बनाए रखता है।

संघर्ष क्यों बढ़ रहा है

• **चीन की बढ़ती सैन्य तत्परता:** चीन ने द्वीप पर संभावित बलपूर्वक कब्ज़ा करने की तैयारी में ताइवान के पास सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है।
• **ताइवान की प्रतिक्रिया:** ताइवान अमेरिकी सहायता से रक्षा को मजबूत करता है, जिससे किसी भी चीनी कार्रवाई का जोखिम बढ़ जाता है।

भारत की चिंताएँ

• **आर्थिक परिणाम:** संघर्ष से व्यापार बाधित होगा, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को नुकसान पहुँचेगा और भारत के प्रमुख उद्योग प्रभावित होंगे।
• **सामरिक प्रभाव:** चीन की जीत से क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे भारत सहित चीन की शक्ति का प्रदर्शन बढ़ सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश जैसे विवादों में बीजिंग को बढ़ावा मिल सकता है।
• **भारत का संतुलन:** भारत को व्यापक रूप से स्थिर वातावरण की आवश्यकता है और रक्षा सहयोग के लिए वह अमेरिका पर निर्भर है, फिर भी वह सीधे संघर्ष में नहीं घसीटा जाना चाहता।

रोकथाम में भारत की भूमिका

• **यथास्थिति बनाए रखना:** वर्तमान स्थिति का समर्थन करता है, जहाँ ताइवान वास्तविक रूप से स्वतंत्र बना हुआ है और औपचारिक घोषणा से परहेज करता है, जिससे संभवतः चीनी आक्रामकता को बढ़ावा मिलेगा।
• **भारत की संभावित कार्रवाइयाँ:** लेखक ने चीन को रोकने के लिए भारत द्वारा अपनाए जा सकने वाले नीतिगत विकल्पों का सुझाव दिया है, जिनमें शामिल हैं:
  ◦ आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का लाभ उठाना
  ◦ जबरन विलय की निंदा करने वाली वैश्विक कथा बनाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में शामिल होना
  ◦ चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना
  ◦ ताइवान का सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना
  ◦ हिंद महासागर में अमेरिका के साथ सहयोग करना

आगे की राह

• **भारत का स्वार्थ:** संघर्ष को रोकना ताइवान का समर्थन करने के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अंततः यह एक स्थिर क्षेत्र में भारत के अपने हितों की रक्षा करने का मामला है।
• **सक्रिय नीति:** भारत को अपने पारंपरिक निष्क्रिय दृष्टिकोण से आगे बढ़ने, गणना किए गए जोखिम लेने और दुनिया में अपनी बढ़ती भूमिका के जवाब में एक साहसिक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

सतत निर्माण सामग्री पर

संदर्भ

• भारत में निर्माण कार्य में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ रही है।
• ऊर्जा का यह उपयोग जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है और संसाधनों पर दबाव डालता है।

पृष्ठभूमि

• बढ़ते तापमान और शहरीकरण के कारण थर्मल आराम के लिए ऊर्जा-कुशल इमारतों की ज़रूरत होती है।
• इको-निवास संहिता (ENS) जैसी पहल RETV मीट्रिक के उपयोग का मार्गदर्शन करती है, जो किसी इमारत के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरण को मापती है।
• वर्तमान भवन निर्माण प्रवृत्तियाँ अक्सर इन दिशा-निर्देशों की अनदेखी करती हैं, तथा दीर्घावधि ऊर्जा दक्षता और आराम पर गति को प्राथमिकता देती हैं।

भवन निर्माण सामग्री क्यों बदलें?

•जलवायु परिवर्तन और संसाधन की कमी में भवन क्षेत्र के योगदान को कम करने के लिए।
• शीतलन प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना आरामदायक रहने की जगह सुनिश्चित करने के लिए।
• भविष्य में अपेक्षित ऊर्जा की बढ़ती माँग का प्रबंधन करने के लिए।

स्थायी सामग्री के लाभ

• बेहतर प्राकृतिक तापमान नियंत्रण के कारण निवासियों के लिए कम ऊर्जा बिल।
• वातानुकूलन की आवश्यकता को कम करते हुए बेहतर थर्मल आराम।
• पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव।

संभावित समाधान

• बेहतर थर्मल प्रदर्शन के साथ नई, अभिनव निर्माण सामग्री की खोज और विकास।
• ऊर्जा-बचत डिजाइन सिद्धांतों (भवन अभिविन्यास, खिड़की प्लेसमेंट, आदि) को एकीकृत करना
• गति पर स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए निर्माण प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करना।

सर्वोत्तम वर्तमान विकल्प चुनना

• AAC ब्लॉक कई लाभ प्रदान करते हैं:

  ◦ उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन (कम RETV) जिससे इनडोर स्थान ठंडे होते हैं।
  ◦ पारंपरिक लाल ईंटों की तुलना में निर्माण समय कम होता है।
  ◦ मोनोलिथिक कंक्रीट की तुलना में कम सन्निहित ऊर्जा (निर्माण प्रभाव)।

• मोनोलिथिक कंक्रीट, निर्माण में तेज़ है, लेकिन उच्च सन्निहित ऊर्जा से इसका पर्यावरण पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

• हरित भविष्य के लिए इंजीनियरों, वास्तुकारों और स्थिरता विशेषज्ञों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।
• सामग्री निर्माताओं को टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल और लागत-प्रभावी समाधानों की मांग को पूरा करने के लिए नवाचार करने की आवश्यकता है।
• यदि भारत इन परिवर्तनों को अभी प्राथमिकता देता है, तो उसके पास टिकाऊ निर्माण में अग्रणी बनने की क्षमता है।

प्रीलिम्स बूस्टर

एफडीआई में गिरावट वैश्विक रुझान को दर्शाती है

भारत में एफडीआई रुझान: वित्त मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 के पहले 10 महीनों में भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह में 31% की कमी आई, जिसका श्रेय धन के प्रत्यावर्तन को दिया जाता है, जबकि सकल एफडीआई में 61.759.5 बिलियन से मामूली गिरावट देखी गई। वैश्विक एफडीआई परिदृश्य: कुल मिलाकर वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2023 में 3% बढ़कर अनुमानित $1.4 ट्रिलियन हो गया, लेकिन विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह में 9% की गिरावट आई, जो आर्थिक अनिश्चितता और उच्च ब्याज दरों को दर्शाता है। भारत पर प्रभाव: भारत में एफडीआई प्रवाह में मंदी ने वैश्विक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया, भारत में सकल एफडीआई प्रवाह में भी मामूली गिरावट देखी गई, मुख्य रूप से धन के प्रत्यावर्तन के कारण, जिससे शुद्ध प्रवाह में संकुचन हुआ। 📈 भविष्य का दृष्टिकोण:
वित्त मंत्रालय को चालू वर्ष में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में मामूली वृद्धि की उम्मीद है, जो प्रमुख बाजारों में मुद्रास्फीति और उधार लेने की लागत में गिरावट के कारण है, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के लिए वित्तपोषण की स्थिति को स्थिर कर सकता है।
🌍 शीर्ष एफडीआई योगदानकर्ता:
यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान, यू.एस.ए. और मॉरीशस भारत में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं, देश वैश्विक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए शीर्ष गंतव्यों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है।

ईडी ने मसाला बॉन्ड मामले में इसहाक को नया समन जारी किया

🌶️ मसाला बॉन्ड:
मसाला बॉन्ड भारतीय कंपनियों या संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के ऋण साधन हैं।
💱 इन्हें भारतीय रुपये (INR) में दर्शाया जाता है, लेकिन इन्हें भारत के बाहर के निवेशकों को बेचा जाता है, जो इन्हें पारंपरिक बॉन्ड से अलग करता है।
🪔 "मसाला" शब्द भारतीय व्यंजनों और संस्कृति को दर्शाता है, जो इन बॉन्ड में एक अनूठा स्वाद जोड़ता है और भारत के साथ उनके संबंध का प्रतीक है।